न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–67/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कर्नल (रिटायर्ड) राघवेन्द्र सिंह यादव पुत्र कर्नल रायसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम पोस्ट तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।

..... वादी अपीलांट

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र श्री मूल चन्द महाजन निवासी ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर (मृतक)
2. पोल्याराम दत्तक पुत्र श्री बदन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर राज0। (मृतक)
3. रामपाल यादव पुत्र कर्नल श्रीराम यादव निवासी ग्राम तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर राज0। (मृतक)

3/1. मु0 साबित्री देवी यादव बेवाह स्वर्गीय श्री रामपाल यादव निवासी सुभान नगर धौलीदूब अलवर।

3/2 सपन यादव पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल यादव निवासी सुभान नगर धौलीदूब अलवर

3/3 संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल यादव निवासी 77 प्रताप नगर अलवर।

3/4 चेतना यादव पुत्री स्वर्गीय श्री रामपाल यादव निवासी सुभान नगर धौलीदूब अलवर।

4. मोती लाल पुत्र श्री बुद्धसिंह जाट जाति जाट निवासी लखण्डा वाला कुआं अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शिवनारायण शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–06.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इस्तकरारहक व हुकमइम्तनाईदवामी इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि आराजी खसरा

नंबर साबिक 179 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 180 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिनके हाल खसरा नंबर 265 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 266 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर वर्तमान बंदोबस्त अनुसार 1391 रकबा 0.22 है0 व 1392 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात बदन सिंह गुर्जर के हकूक कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिस पर वह बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दाखिल था। बदन सिंह गुर्जर का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसका दत्तक पुत्र पोल्याराम ही उसका एकमात्र विधिक वारिस काबिज जायदाद बहैसियत मालिक के काबिज व दाखिल है। पोल्याराम ने वादग्रस्त आराजीयात को 45000–00 हजार रूपये में दिनांक 01.07.1968 को दफ्तर सब रजिस्ट्रार अलवर राजस्थान के यहां पजीबद्ध करवा दिया गया। रकम जरे बय मिन वादी से विधिवत प्राप्त करके मिन वादी को कब्जा मौके पर दिया जा चुका है। मिन वादी बरोज खरीद से उपरोक्त आराजीयात पर नेकनियति से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दखिल होकर कार्य काश्तकारी करता चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग ने मिन वादी की अदम मौजूदगी में मिन वादी के बाला बाला में गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का अंकन मिसल हकीयत में दर्ज कर दिया गया। इस मिसल हकीयत के गलत इन्द्राज के आधार पर उसके बाद बनी सभी जमाबंदियों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का अंकन गलत तरीके से हो गया है। प्रतिवादी संख्या 3 रामपाल यादव ने विवादित आराजीयात के बाबत एक दावा प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार मुकंदमा बना कर दिनांक 19.06.85 को डिक्री करा लिया है। उक्त डिक्री दिनांक 19.06.85 बहक प्रतिवादी संख्या 3 से मिन वादी पाबन्द नही है क्योंकि उक्त वाद में वादी पक्षकार मुकदमा नही था। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी को आराजी मुतनाजा की बाबत समस्त हक हकूक कब्जे काश्त खातेदारी के प्राप्त है, जिस वाद को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर राजस्थान द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 मोती लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश नियम 07 नियम 11 जा.दी स्वीकार फरमाते हुये अपने आदेश दिनांक 08.08.2013 द्वारा खारिज फरमाया है। जिस आदेश दिनांक 08.08.2013 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि उपरोक्त विवादित आराजी को वादी अपीलांट द्वारा आराजीयात के साबिक खातेदार पोल्याराम से बजर्ये बयनामा पंजीयन दिनांक 12.07.1968 को खरीद किया गया था। जिस बयनामा के आधार पर वादी अपीलांट द्वारा स्वयं को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद दायर किया गया था। जो बिंदु वाद में तय होना था। प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी में बयनामा दिनांक 12.07.68 को फर्जी व नुमाईशी बताया है जबकि उपरोक्त बयनामा कार्यालय उप पंजीयम, अलवर के यहां से विधिक प्रक्रिया के तहत पंजीकृत दस्तावेज है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी में यह भी अंकन नही किया कि

वादी अपीलांट को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार किस प्रकार नही है जबकि वादी अपीलांट वाद वर्णित आराजीयात का बोनाफाईड परचेजर है। उक्त आराजी की बाबत प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 3 रामपाल द्वारा वादी को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वाद वर्णित आराजी के खातेदार श्यामसिंह की मृत्यु के बाद उसको जीवित बताते हुये फर्जी व नुमाईशी डिक्री न्यायालय से प्राप्त कर लेने और उसके बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त फर्जी डिक्री के आधार पर रामपाल के नाम का अंकन होने की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा उपरोक्त फर्जी डिक्री को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ नल एण्ड वाईड कराने एवं राजस्व रिकार्ड में रामपाल के नाम के हुये अंकन को कलमजन कराने की बाबत वादी अपीलांट द्वारा अपना वाद दायर किया गया था। जिस वाद की बाबत आक्षेपित आदेश में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहीं भी यह अंकन नही किया है कि वाद वादी किस कानून के तहत बार्ड है। आदेश 07 नियम 11 जा.दी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र उस सूरत में प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि वाद में कोई वाद कारण डिस्क्लोज नही किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण दर्ज किया हुआ था। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा अपने निर्णय में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादी अपीलांट अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये नया वाद दायर कर सकता है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस बाबत अंकन नही किया है कि वाद वादी किस कानूनी प्रावधान से बाधित है। प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा अपना प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी के प्रावधानों के अंतर्गत बयनामा दिनांक 12.07.1968 की बाबत आक्षेप करते हुये प्रस्तुत किया है जबकि उपरोक्त बयनामा एक रजिस्टर्ड बयनामा है। जब तक उपरोक्त बयनामा को सिविल न्यायालय द्वारा नल एण्ड बाईड करार नही दिया जाता है तब तक वह बयनामा कानून के प्रावधानों के अनुसार सर्वमान्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी में उसकी बाबत कोई आक्षेप किसी प्रकार का नही उठाया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश द्वारा वादी के वाद का मैरिट के आधार पर निर्णय किया गया है, न कि प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी का। क्यों कि आदेश 07 नियम 11 जा.दी के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को वाद हेतुक, स्टाम्प ड्यूटी तथा वाद किस कानून के तहत बार्ड है, के बिंदुओं पर निर्णय पारित करना होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाव बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ अदालत में वादी अपीलांट ने इस बिना पर दायर किया कि उसने आराजी मुतनाजा जर्ये दस्तावेज बयनामा श्री पोल्या दत्तक पुत्र बदनसिंह से दिनांक 12.07.1968 को खरीद की थी, इस आधार पर वादी अपीलांट ने अपने आपको आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के लिये वाद अधीनस्थ अदालत में पेश किया था। पोल्या स्व0 श्री बदनसिंह का दत्तक पुत्र था जिसके नाम पर स्व0 श्री बदनसिंह का इन्तकाल विरासत संख्या 8 दिनांक 17.04.67 को दर्ज व तस्दीक किया गया है। जिस इन्तकाल में भी आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बरान दर्ज नही हैं जिससे स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा ना तो पोल्या की खातेदारी में थी और ना ही बदनसिंह की खातेदारी में थी। इन हालात में जो बयनामा वादी अपीलांट के द्वारा आराजी

मुतनाजा का पोल्या दत्तक पुत्र बदनसिंह से कराया गया है वह फर्जी है व नुमाईशी है। उक्त बयनामा के आधार पर कानूनन वादी का वाद चलने योग्य नही था और काबिल पेश रफत नही था। इस प्रकार चूंकि वादी अपीलांट के पास कोई विधिक प्रकिया वाद प्रस्तुत करने के लिये नही थी एवं वादी अपीलांट का वाद किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही था। यह एक कानूनी एतराज था और अव्वल इस पर विचार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक था। पत्रावली पर वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नही पाया गया कि बदनसिंह अथवा पोल्या खातेदार था। अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये गये। आदेश 07 नियम 11 जा.दी पेज 129, आरआरडी 1994 पेज 283, आरआरडी 1994 पेज 432, 2011(4) आरएलडबल्यू पेज 3420, 2011(3) डीएनजे राजस्थान पेज 1066, 2015(8) एससीसी पेज 331, 2018(5) एससीसी पेज 644, 2004 डबल्यूएलसी राजस्थान यूसी पेज 391, आरआरडी 2012 पेज 842.

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 08.08.2013 का अवलोकन किया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्यों कि तहत अदालत द्वारा इसी आराजीयात से संबंधित पारित आदेश दिनांक 19.06.85 अभी भी अस्तित्व में है, अपास्त नही हुआ है।

राजस्व रिकार्ड की स्थिति– अपील मीमो के जिमन संख्या 01 में आराजीयात बदनसिंह गुर्जर व उसके मरने के बाद दत्तक पुत्र पोल्या गुर्जर का उल्लेख किया है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर विवादित आराजीयात संवत 2002 में लक्ष्मी पुत्र छदमीलाल महाजन, संवत 2010 में लक्ष्मी पुत्र छदमीलाल महाजन, संवत 2020 में मालिक श्री सरकार खातेदार कृषक श्यामसिंह पुत्र मूलचन्द महाजन निवासी देहली है।

इससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से अर्थात आधार वर्ष संवत 2012 में या उससे पूर्व कभी भी बदनसिंह गुर्जर की नही रही।

नामान्तरण संख्या 08 वर्ष 17.04.1967 से बदनसिंह फौत होने पर 11.11.60 के दस्तावेज के आधार पर पोल्या गुर्जर के नाम निम्न खातेदारी दर्ज हुई ।

खसरा नंबर 318 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 214 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 215 रकबा 02 बिस्वा, 225 रकबा 4 बीघा, 54 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 12 बीघा, जिसमें कहीं भी उक्त विवादित आराजीयात के खसरा नंबर शामिल नही है।

अपीलांट ने जिस विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1966 का उल्लेख किया है उसमें खसरा नंबर 179 व 180 का उल्लेख है, उसका खातेदार कभी भी पोल्या गुर्जर का मुतबन्ना पिता बदनसिंह नही रहा है। खसरा गिरदावरी को रिकार्ड एवं राईट्स नही माना जा सकता है। इसी प्रकार गैर मौरूसी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं।

इस प्रकार वाद पत्र एवं अपील में जो आधार लिया है इससे वाद हेतुक अर्थात कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न ही नही होता है। जिसका विवेचन तहत अदालत द्वारा अपने विवेचित आदेश में सही किया है।

वर्णित आराजीयात से संबंधित एक वाद प्रकरण संख्या 1/85 आदेश दिनांक 19.06.85 बउनवान रामपालसिंह बनाम श्यामसिंह महाजन का निर्णीत किया गया है। उसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई थी। न्यायालय हाजा द्वारा भी प्रकरण संख्या 139/85 आदेश दिनांक 04.09.85 बउनवान राघवेन्द्र बनाम रामपाल श्यामसिंह में तहत अदालत के आदेश को यथावत रखा गया है। इसी आराजी से संबंधित एक सिविल वाद प्रकरण संख्या 24.02.2006 वाद संख्या 204/2006 बउनवान मोतीलाल बनाम रामपाल न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलवर द्वारा रामपाल के पक्ष में 25.03.2014 को आदेशित कर दिया गया है।

इसी प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 04.09.85 के विरूद्ध रिवीजन बउनवान राघवेन्द्र बनाम रामपाल, श्यामसिंह 301/87/आरटीए/अलवर में निर्णय 13.11.2017 इस प्रकार है–

'appellant Raghvendra singh is not bound by any decree passed in favour of respondent No. 1 against respondent No. 2 and in mutation proceedings he has a right to raise objections with these observations the appeal is dismissed in limine.'

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी तहत अदालत के आदेश 19.06.85 को अपास्त नही किया है व निगराकार को निर्देशित किया है कि वह यदि आक्रान्ता है तो नामान्तरण की कार्यवाही में अपना पक्ष रख सकता है।

इस प्रकार यह वाद 'पूर्व न्याय' धारा 11 जा.दी. के अंतर्गत आने से भी विधि द्वारा बाधित है। अतः न्यायालय वाद हेतुक उत्पन्न नही होने एवं पूर्व न्याय से बाधित होने से तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 08.08.2013 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06.02.2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर